

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 28
22.07.2024 को उत्तर के लिए

हरियाणा में वन क्षेत्र

28. श्री वरुण चौधरी :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) भारत वन स्थिति प्रतिवेदन, 2023 के प्रकाशन में विलंब के क्या कारण हैं;
- (ख) वर्ष 2019 से हरियाणा राज्य में वन क्षेत्र की स्थिति क्या है और सभी राज्यों में इसका क्या स्थान है;
- (ग) उक्त राज्य में वन क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और विगत पांच वर्षों के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और
- (घ) उक्त राज्य में वन क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए विचाराधीन किन्हीं विशेष पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

- (क) भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून से प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के प्रकाशन में होने वाले विलंब का कारण यह था कि इसमें पहले 636 जिलों को शामिल किया गया था बाद में जिसके स्थान पर 751 जिलों को शामिल करना पड़ा।
- (ख) भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून, जो इस मंत्रालय के अधीन एक संगठन है, हर दो वर्ष में वन क्षेत्र का आकलन करता है और इसके निष्कर्ष भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) में प्रकाशित किए जाते हैं। वर्ष 2019 से हरियाणा राज्य में वन क्षेत्र की स्थिति और सभी राज्यों के बीच इसकी रैंकिंग इस प्रकार है:-

| आईएसएफआर | कुल वन क्षेत्र (वर्ग किमी में) | रैंकिंग |
|----------|--------------------------------|---------|
| 2019 | 1,602 | 30 |
| 2021 | 1,603 | 31 |

- (ग) एवं (घ) वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मुख्य रूप से राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम), और नगर वन योजना के माध्यम से वनीकरण गतिविधियों को संचालित करने के लिए सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016 और उसके

तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण निधि का उपयोग करके भी वनीकरण गतिविधियों को संचालित किया जाता है।

पिछले पांच वर्षों में वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए विभिन्न स्कीमों और योजनाओं के तहत जारी की गई निधियों का विवरण नीचे दिया गया है:-

| क्रम सं. | स्कीम/योजना का नाम | वर्षवार निधि आबंटन (लाख रुपए में) | | | | |
|------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
| 1 | हरित भारत मिशन (जीआईएम) (सीएसएस) | 0 | 0 | 0 | 4479.25 | 3400 |
| 2 | नगर वन योजना | 0 | 0 | 449.022 | 0 | 0 |
| 3 | प्रतिपूरक वनीकरण | 7246.43 | 16687.47 | 19776.15 | 28199 | 22000 |
| 4 | मरुस्थलीकरण नियंत्रण | 60 | 76.7 | 177.2 | 219 | 189.77 |
| 5 | अवक्रमित वन क्षेत्रों में पुनःवनीकरण | 572 | 498 | 2309 | 2571.25 | 3061.23 |
| 6 | पुनरुद्धार संस्थान, अरावली पहाड़ियाँ | 1120 | 950 | 1322.58 | 549.05 | 330 |
| 7 | शहरी क्षेत्र में हरित पट्टी | 740 | 607 | 551.16 | 492.2 | 400 |
| 8 | हर्बल नेचर पार्क | 1100 | 400 | 1000 | 850 | 800 |
| 9 | कृषि-वानिकी का विकास | 6800 | 6500 | 13000 | 12212.53 | 11000 |
| कुल | | 17638.43 | 25719.17 | 38585.112 | 49572.28 | 41181.00 |

उपर्युक्त के अतिरिक्त, अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा संचालित योजनाओं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय बांस मिशन, कृषि वानिकी उप-मिशन आदि के तहत मिलकर भी वृक्षारोपण कार्य किया जाता है।
